न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 43/2017

1 गोपाललाल पुत्र नाथुराम।
2 मुकेश कुमार पुत्र नाथुराम।
3 पन्नाराम पुत्र खींवाराम समस्त जाति बलाई निवासीगण भगतपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 गिरवर सिंह पुत्र मानसिंह।
2 भगवान सिंह पुत्र भागीरथ सिंह।
3 हणमानसिंह पुत्र बजरंग सिंह।
4 लक्ष्मणसिंह पुत्र बजरंग सिंह।
5 प्रेम कंवर बेवा बहादुर सिंह।
6 स्वरूप सिंह पुत्र बालसिंह।
7 श्रवण सिंह पुत्र खीवसिंह।
8 दयालसिंह पुत्र श्योजीसिंह।
9 जगदीश सिंह पुत्र मदनसिंह।
10 मालसिंह पुत्र मानसिंह।
11 दयालसिंह पुत्र मानसिंह।
12 राजेन्द्र सिंह पुत्र मानसिंह।
13 जयसिंह पुत्र मानसिंह।
14 श्रवणसिंह पुत्र बजरंग सिंह।
15 भगवानसिंह पुत्र बजरंग सिंह।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

16 प्रहलाद सिंह पुत्र गणेशसिंह।
17 हणमान सिंह पुत्र गणेशसिंह।
18 रणवीर सिंह पुत्र किशोर सिंह।
19 पृथ्वीसिंह पुत्र किशोरसिंह।
20 बिजर कंवर पत्नी पाबुदान सिंह।
21 महावीर सिंह पुत्र पाबुदान सिंह।
22 महेन्द्र सिंह पुत्र पाबुदान सिंह।
23 भागीरथ सिंह पुत्र पाबुदान सिंह।
24 राजेन्द्र सिंह पुत्र गुमानसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण भगतपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
25 पटवारी हल्का भगतपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
26 उप पंजियक लोसल तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
27 तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दांतारामगढ़ बइजलास श्री जगदीश प्रसाद गौड़ आर.ए.एस. प्रकरण संख्या 109/2015/दावा उनवानी गिरवर सिंह वगैरह बनाम गोपाललाल वगैरह दिनांकित 09.09.2016

अपील संख्या 44/2017

1 गोपाललाल पुत्र नाथुराम।
2 मुकेश कुमार पुत्र नाथुराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

3 पन्नाराम पुत्र खींवाराम समस्त जाति बलाई निवासीगण भगतपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 गिरवर सिंह पुत्र मानसिंह।
2 भगवान सिंह पुत्र भागीरथ सिंह।
3 हणमानसिंह पुत्र बजरंग सिंह।
4 लक्ष्मणसिंह पुत्र बजरंग सिंह।
5 प्रेम कंवर बेवा बहादुर सिंह।
6 स्वरूप सिंह पुत्र बालसिंह।
7 श्रवण सिंह पुत्र खीवसिंह।
8 दयालसिंह पुत्र श्योजीसिंह।
9 जगदीश सिंह पुत्र मदनसिंह।
10 मालसिंह पुत्र मानसिंह।
11 दयालसिंह पुत्र मानसिंह।
12 राजेन्द्र सिंह पुत्र मानसिंह।
13 जयसिंह पुत्र मानसिंह।
14 श्रवणसिंह पुत्र बजरंग सिंह।
15 भगवानसिंह पुत्र बजरंग सिंह।
16 प्रहलाद सिंह पुत्र गणेशसिंह।
17 हणमान सिंह पुत्र गणेशसिंह।
18 रणवीर सिंह पुत्र किशोर सिंह।
19 पृथ्वीसिंह पुत्र किशोरसिंह।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

20 बिजर कंवर पत्नी पाबुदान सिंह।
21 महावीर सिंह पुत्र पाबुदान सिंह।
22 महेन्द्र सिंह पुत्र पाबुदान सिंह।
23 भागीरथ सिंह पुत्र पाबुदान सिंह।
24 राजेन्द्र सिंह पुत्र गुमानसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण भगतपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
25 पटवारी हल्का भगतपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
26 उप पंजियक लोसल तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
27 तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दांतारामगढ़ बइजलास श्री जगदीश प्रसाद गौड़ आर.ए.एस. प्रकरण संख्या 109/2015/दावा उनवानी गिरवर सिंह वगैरह बनाम गोपाललाल वगैरह दिनांकित 27.03.2017

उपस्थिति :

1. श्री सांवरमल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 16.02.2021

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 109/2015 में पारित निर्णय दिनांक 09.09.2016 एवं 27.03.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनो अपीलों में विवादित भूमि एवं पक्षकार समान होने से दोनो का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां दोनो पत्रावलियों में प्रथक–प्रथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट द्वारा भूमि खसरा नम्बर 216,217,218,225,226,227,228,235 वाके ग्राम भगतपुरा तहसील दांतारामगढ़ के सन्दर्भ में घोषणा, बंटवारा का वाद प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई दिनांक 09.09.2016 को प्राथमिक डिक्री एवं दिनांक 27.03.2017 को अन्तिम डिक्री जारी की है। इन दोनो से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा प्रथक–प्रथक अपीले धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में पत्रावली दिनांक 03.12.2015 को प्रस्तुत हुई है। तब से दिनांक 08.09.2016 तक पत्रावली वास्ते जवाब में नियत चल रही थी। दिनांक 08.09.2016 को पत्रावली पुन जवाब हेतु दिनांक 09.09.2016 को नियत की गई है। दिनांक 09.09.2016 को विचारण न्यायालय द्वारा जवाब, तनकीयात एवं साक्ष्य की प्रकिया की पालना किये बिना सीधे ही प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई है। दिनांक 27.03.2017 को अपीलांट को आपत्ति का एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना अन्तिम डिक्री पारित की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट को विचाराधीन निर्णयों की जानकारी होते ही जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत कर दी गई है। न्यायहित में धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हुई देरी को कन्डोन किया जावें। अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। विधि अनुसार प्रस्ताव तैयार कर प्राप्त होने पर उभयपक्ष को सुनकर अन्तिम डिक्री पारित की गई है। विचाराधीन दोनो निर्णय विधिक प्रकिया की पालना कर पारित किये गये है। अपीलांट विचारण न्यायालय में उपस्थित था। अपीलांट ने विलम्ब का दिन प्रतिदिन का समुचित कारण अंकित नही किया है। अपील अपीलांट सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाता है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में पत्रावली दिनांक 03.12.2015 को प्रस्तुत हुई है तब से दिनांक 08.09.2016 तक पत्रावली वास्ते जवाब में नियत चल रही थी। दिनांक 08.09.2016 को पत्रावली पुन जवाब हेतु दिनांक 09.09.2016 को नियत की गई है। दिनांक 09.09.2016 को विचारण न्यायालय द्वारा जवाब, तनकीयात एवं साक्ष्य की प्रकिया की पालना किये बिना सीधे ही प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय के प्राथमिक डिक्री के आदेश की पालना में अपीलांट को सुचित कर अपीलांट की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है। दिनांक 27.03.2017 को अपीलांट को आपत्ति का एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना अन्तिम डिक्री पारित की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है।

अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माने जा सकते है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन प्राथमिक डिक्री एवं अन्तिम डिक्री के निर्णय को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को जवाब दावा पेश करने का अवसर प्रदान करें, तनकीयात कायम करे, उभयपक्ष के साक्ष्य ले तत्पश्चात सुनवाई कर प्रकरण में गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.03.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर